संख्या-32/2020/4847/26-3-2019-10(2)/2017

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी 2020

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-गोरखपुर के तहसील-सदर ग्राम खुर्रमपुर तप्पा, कस्बा परगना-हवेली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नार्मल कैम्पस में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1462-63/स.क./विकास/कोचिंग- गोरखपुर /2019-20, दिनांक-08.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-गोरखपुर के तहसील-सदर ग्राम खुर्रमपुर तप्पा, कस्बा परगना-हवेली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नार्मल कैम्पस में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-151/2017/1168/26-3-2017-10(2) /2017, दिनांक-25.09.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-गोरखपुर के तहसील-सदर ग्राम खुर्रमपुर तप्पा, कस्बा परगना-हवेली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नार्मल कैम्पस में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर के निर्माण हेतु आगणित लागत रू0-871.51 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-435.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-गोरखपुर के तहसील-सदर ग्राम खुर्रमपुर तप्पा, कस्बा परगना-हवेली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नार्मल कैम्पस में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0-435.76 लाख (रू0-चार करोड़ पैतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मंे अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

(8)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(9)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-कोचिंग केन्द्र भवन निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-32/2020/4847 (1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5 जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर ।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9 प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,
उ0प्र0 लखनऊ।
10 निदेशक, एन0आई0सी0।
11 गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।